पीएम विश्वकर्मा योजना में 1800 आवेदकों को मिलेगा लाभ

जासं • लखनऊ: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में इस बार जिले से 1800 लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया है। जिन आवेदकों का प्रथम चरण का सत्यापन पूर्ण हो चुका है उनका द्वितीय चरण का सत्यापन कर पोर्टल पर फारवर्ड किया जाएगा। डीएम सूर्यपाल गंगवार ने शुक्रवार को बैठक कर अफसरों को जल्द सत्यापन पूरा करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ अधिक से अधिक जरूरतमंदों को मिलना चाहिए। जिलाधिकारी ने खंड विकास अधिकारियों को नगर पंचायत स्तर पर शिविर लगाने के निर्देश दिए।

डीएम की अध्यक्षता में पीएम विश्वकर्मा योजना की जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक, 18 ट्रेडों में मिलेगा लाभ

इन ट्रेडों को किया शामिल : बढ़ई (सुथार), नाव निर्माता, अस्त्र बनाने वाला, लोहार-हथौड़ा और टूलकिट निर्माता, ताला बनाने वाला, गोल्ड स्मिथ (सोनार), कुम्हार, मूर्तिकार (पत्थर तराशने एवं तोड़ने वाला), मोची (चर्मकार), जूता कारीगर, मेसन (राजमिस्त्री), टोकरी/चटाई/झाड़ू निर्माता/जूट बुनकर, गुड़िया और खिलौना निर्माता (पारंपरिक), नाई, माला बनाने वाला, धोबी, दर्जी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाला।

योजना का लाभ

- लाभार्थी को 5 से 7 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र एवं पांच सौ रुपए प्रति दिन की दर से मानदेय देय होगा।
- प्रशिक्षण उपरांत टूलकिट क्रय करने के लिए 15 हजार का ई-वाउचर प्राप्त होगा।
- प्रथम चरण में 18 माह हेतु एक लाख तक का एवं द्वितीय चरण में 36 माह हेतु दो लाख तक का कोलेटरल फ्री ऋण।
- प्रथम ऋण के समय भुगतान की स्थिति में 10 दिन का एडवांस प्रशिक्षण।

इनकी होगी पात्रता

- आवेदक की न्यूनतम आयु पंजीकरण के समय 18 वर्ष होनी चाहिए।
- किसी एक विधा में से संबंधित किसी विधा का पारंपरिक शिल्पकार अथवा कारीगर होना चाहिए।
- आवेदक द्वारा पहले क्रेडिट बेस्ड योजनाओं यथा पीएमईजीपी, मुद्रा लोन के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
- पीएम स्वानिधि योजना के अंतर्गत ऋण की समस्त किस्तें चुका दी गई हों, वह भी पात्र माने जाएंगे।
- परिवार का केवल एक ही व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। परिवार का अर्थ पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से है।
- सरकारी कर्मचारी या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के पात्र नहीं होंगे।